

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025—फाल्गुन 5, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक एफ ए 3-43/2017/1/पांच(09): मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19) की धारा 9 उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-43/2017/1/पांच/(55) दिनांक 07 दिसम्बर, 2018, में आगे भी निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
““विशिष्ट परिसर” का वही अर्थ है जो अधिसूचना क्रमांक 11/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के पैराग्राफ 4 के मद (xxxvi) में दिया गया है।”
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्र. एफ ए-3-43-2017-01-पांच.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-43-2017-01-पांच (09), दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 24th February 2025

No. F A 3-43/2017/1/V(09) : In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F A-3-43/2017/1/V(55) dated the 30th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Explanation, for item (c), the following shall be substituted, namely,-
““specified premises” has the same meaning as assigned to it in clause (xxxvi) of paragraph 4 of notification number 11/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017.”.
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.